अध्याय 6

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
(विभाग)

अध्याय 6

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

महिला एवं बाल विकास विभाग

6.1 "आपकी बेटी हमारी बेटी योजना" के अंतर्गत जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का अतिरिक्त भुगतान

योजना के तंत्र में स्वीकृति के लिए आवेदनों के चयन और निधियों की संस्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान, दोहरे आवेदनों को पहचानने और हटाने की व्यवस्था न होने के कारण 7,402 लाभार्थियों को एक से अधिक लाभ प्रदान कर दिए गए, जिसके कारण जीवन बीमा निगम को ₹ 15.54 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राज्य में शिशु लिंग अनुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी की गई (अगस्त 2015)। इस योजना में अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में जन्मी पहली बेटी और 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हरियाणा के किसी भी परिवार में जन्मी दूसरी/जुड़वां/एकाधिक बेटियों को शामिल किया गया है। मार्च 2017 में इस योजना में उन सभी सामान्य परिवारों को भी शामिल कर लिया गया जिनमें तीसरी बेटी का जन्म 24 अगस्त 2015 या उसके बाद हुआ है।

योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को ₹ 21,000 का एकमुश्त अनुदान मिलता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय द्वारा लाभार्थी के नाम पर उसके माता/पिता/अभिभावक के माध्यम से जीवन बीमा निगम में धन का निवेश किया जाता है। जीवन बीमा निगम प्रत्येक नामांकित लाभार्थी के पक्ष में एक सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी करता है। निवेश की परिपक्वता राशि बेटी की आयु 18 वर्ष होने के बाद देय हो जाती है। अगस्त 2015 की अधिसूचना के पैरा 10 के अनुसार, किसी भी स्तर पर अनुदान स्वीकृत करने में गलती रहने पर लाभ वापस लिया जा सकता था।

विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, लाभार्थियों द्वारा सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। पात्रता के सत्यापन और दोहराव की जांच के लिए आवेदन महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास भेजे जाते हैं। आवेदनों की जांच के बाद, आवेदनों को संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास अनुमोदन, स्वीकृति और जीवन बीमा निगम में राशि जमा करने के लिए भेज दिया जाता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, सोनीपत (अक्तूबर 2022) और महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जुलाना, जींद (नवंबर 2022) के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत कई लाभार्थियों के लिए जीवन बीमा निगम को एक से अधिक बार ₹ 21,000 के एकमुश्त अनुदान का भुगतान किया था। इसके बाद, महानिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से अन्य जिलों का जीवन बीमा निगम से संबंधित डेटा मांगा गया। डेटा की जांच से पता चला कि राज्य में जनवरी 2015 से

जुलाई 2022 की अवधि के बीच 3,60,188 बालिका लाभार्थियों को नामांकित किया था और जीवन बीमा निगम को ₹ 756.39 करोड़[1] (प्रत्येक लाभार्थी के लिए ₹ 21,000) का प्रीमियम दिया गया था। डेटा पर डुप्लिकेट फ़िल्टर[2] (नाम, जन्मतिथि, उनके पिता और माता का नाम) लगाने पर पाया कि 7,723 लाभार्थियों ***(परिशिष्ट 6.1)*** को एक से अधिक बार (दो/तीन/चार/पांच/छः एवं नौ बार) पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार, इन 7,723 लाभार्थियों को 8,238 एकाधिक जीवन बीमा निगम प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.30 करोड़[3] का अधिक भुगतान हुआ।

यह देखा गया कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की प्रक्रियाएं स्वचालित नहीं थी। लाभार्थियों की सूची बनाना, खजाने से निधियों का आहरण और सूची को जीवन बीमा निगम को भेजना जैसे कार्य मैन्युअल रूप से किए जाते थे। इसलिए, अनुमोदन के लिए आवेदनों की चयन प्रक्रिया और निधियों की स्वीकृति के दौरान सूची में दोहरे आवेदनों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए जिला स्तर पर कोई तंत्र नहीं था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2023) कि जीवन बीमा निगम से 836 मामलों में ₹ 2.09 करोड़ की वसूली कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए लगातार प्रयास जारी थे। विभाग ने आगे बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) प्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे और इसके लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने का आश्वासन दिया गया था। विभाग ने आगे बताया (सितंबर 2024) कि 1,966 मामलों में ₹ 6.79 करोड़ वसूल हो गए थे, हालांकि, वसूली का कोई विवरण नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, अनुमोदन के लिए आवेदनों के चयन की प्रक्रिया और निधियों की स्वीकृति के दौरान दोहरे आवेदनों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए तंत्र में कमी के कारण 7,402 लाभार्थियों को एकाधिक लाभ प्रदान किये गए, जिसके कारण जीवन बीमा निगम को ₹ 15.54 करोड़[4] का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया था (मार्च 2023); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार को योजना के अंतर्गत किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और भविष्य में लाभार्थियों के दोहराव को रोकने के लिए पोर्टल की कमियों को दूर करना चाहिए।

---

1 3,60,188 लाभार्थी x ₹ 21,000 = ₹ 756.39 करोड़

2 आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके

3 ₹ 17.30 करोड़ = 8,238 मामले x प्रत्येक मामले में ₹ 21,000

4 8,238 - 836 = 7,402 लाभार्थी x ₹ 21,000 = ₹ 15.54 करोड़

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

6.2 गैर-कार्यात्मक रेस्तरां पर निष्फल व्यय

हथिनीकुंड बैराज पर रेस्ट हाउस के निकट रेस्तरां के निर्माण पर ₹ 1.74 करोड़ का व्यय, उपयोग हेतु सुदृढ़ योजना और पर्यटन विभाग की सहभागिता न होने कारण निष्फल रहा।

हरियाणा पर्यटन नीति, 2008 के पैरा 2.1 के अनुसार, पर्यटन को विभिन्न विभागों और निगमों के बीच प्रभावी संपर्क और घनिष्ठ समन्वय के साथ एक बहु-क्षेत्रीय गतिविधि माना जाये। नीति के अनुसार, हरियाणा पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों के विकास और संवर्धन के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए नोडल विभाग था। इसके अलावा, नीति के पैरा 4.7 में प्रावधान है कि पर्यटन परियोजनाओं के लिए भूमि का पट्टा/नीलामी आदि का कार्य राज्य सरकार के एजेंट के रूप में हरियाणा पर्यटन निगम (एच.टी.सी.) द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

हथिनीकुंड बैराज को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने 'हथिनीकुंड बैराज पर एक रेस्तरां के निर्माण सहित पार्क के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण' (परियोजना) के लिए ₹ 15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2016)। परियोजना में एक रेस्तरां, बच्चों का पार्क और खुला मंच, भोजन कियॉस्क, ओपन एयर थिएटर-सह-प्रदर्शन मंच, बच्चों का रेन शॉवर पॉइंट आदि के निर्माण का प्रावधान था।

कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, जगाधरी के कार्यालय के अभिलेखों (सितंबर 2022) की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस परियोजना के एक भाग के रूप में, मुख्य अभियंता, यमुना जल सेवा (एन), पंचकुला द्वारा "जगाधरी से पोंटा साहिब रोड पर हथिनीकुंड बैराज रेस्ट हाउस के पास रेस्तरां का निर्माण" कार्य के लिए ₹ 1.42 करोड़ अनुमान स्वीकृत (दिसंबर 2017) किया, जिसे संशोधित कर ₹ 1.57 करोड़ (जनवरी 2021) कर दिया गया था। निविदा प्रक्रिया के बाद, सात माह की समय-सीमा के लिए कार्य ₹ 1.60 करोड़[5] की अनुबंध राशि पर एक एजेंसी को आबंटित कर दिया गया (मई/अक्तूबर 2018)। एजेंसी द्वारा ₹ 1.54 करोड़ में कार्य फरवरी 2020 में पूर्ण कर दिया, जिसके लिए उसकी समय सीमा में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

आगे अभिलेखों की जांच से पता चला कि लगभग 21 माह के बाद (नवंबर और दिसंबर 2021), विभाग ने रेस्तरां/बार को न्यूनतम आरक्षित मूल्य ₹ एक लाख प्रतिमाह और ₹ 25 लाख की सिक्यूरिटी लेकर पट्टे पर देने के लिए दो बार निविदाएं आमंत्रित की लेकिन किसी एजेंसी ने निविदा नहीं भरी। ई-नीलामी प्रक्रिया में किसी भी एजेंसी के भाग न लेने के कारण, शर्तों में छूट देकर, संबंधित कार्यकारी अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता को न्यूनतम आरक्षित मूल्य ₹ 0.50 लाख प्रतिमाह और सिक्यूरिटी राशि ₹ 10 लाख करके विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (डी.एन.आई.टी.) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2022)। अधीक्षण अभियंता ने इस अभियुक्ति के साथ केस वापिस कर दिया कि रेस्तरां/बार को पट्टे पर देने के लिए पर्यटन विभाग से संपर्क

5 ₹ 1.60 करोड़ = रेस्तरां का निर्माण - ₹ 1.42 करोड़ (मई 2018) + रेस्तरां का इलेक्ट्रिक कार्य - ₹ 0.18 करोड़ (अक्तूबर 2018)

किया जाए। इसके बाद विभाग ने पर्यटन विभाग से मार्च 2022 में रेस्तरां को पहले वाले निबंधनों एवं शर्तों पर पट्टे पर देने का कार्य सँभालने का अनुरोध किया। रेस्तरां को पट्टे पर देने के मुद्दे का हल निकालने के लिए दोनों विभागों के बीच बैठकें (मार्च और अप्रैल 2022) आयोजित की गई। पर्यटन विभाग की ओर से, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा बार/रेस्तरां को पट्टे पर देने का कार्य करने की सहमति प्रदान की गई (अगस्त 2022), लेकिन इस शर्त पर कि साइट पर साहसिक गतिविधियां प्रारंभ हो जाये, ताकि बोलीदाताओं की बेहतर भागीदारी हो सके।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि परियोजना का सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका था, बागवानी का कार्य अभी भी निष्पादित किया जाना था (अप्रैल 2023)। राज्य की पर्यटन नीति के अंतर्गत, विभाग द्वारा परियोजना के प्रारम्भ में ही (मई 2018) पर्यटन विभाग/हरियाणा पर्यटन निगम को शामिल करना चाहिए था। लेकिन परियोजना शुरू होने के 46 माह (मार्च 2022) और रेस्तरां के निर्माण के 25 माह बाद ऐसा किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि फरवरी 2020 से जुलाई 2022 तक रेस्तरां की निगरानी पर ₹ 0.20 करोड़ की राशि भी खर्च की गई थी।

पूछताछ करने पर, हरियाणा पर्यटन निगम ने पुष्टि की (जनवरी 2023) कि सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने परियोजना प्रारंभ करने से पहले निगम से परामर्श नहीं किया। इसके अलावा, हरियाणा पर्यटन निगम ने सूचित किया कि किसी निजी व्यक्ति को रेस्तरां/बार लाइसेंस पर देने के लिए व्यवहार्यता का आकलन करने से पहले, हथिनीकुंड बैराज में साहसिक/ वाटर स्पोर्टस गतिविधियों का लाइसेंस देने की प्रक्रिया की जाएगी। हरियाणा पर्यटन निगम ने हथिनीकुंड बैराज (अगस्त 2022) में साहसिक/वाटर स्पोर्टस गतिविधियों को लाइसेंस पर देने के लिए एक निविदा आमंत्रित की, लेकिन उसे इसके लिए कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई और एक संशोधित निविदा तैयार की जा रही थी। प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने बताया (मई 2023) कि रेस्तरां का निर्माण कार्य फरवरी 2020 में पूरा हो गया था। लेकिन रेस्तरां/बार को पट्टे पर देने का मामला अभी भी पर्यटन विभाग के पास था। अद्यतन स्थिति के बारे में पूछताछ (सितंबर 2024) पर, कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, जगाधरी ने बताया (सितंबर 2024) कि रेस्तरां/बार को अभी भी पट्टे पर दिया जाना वांछित था।

इस प्रकार, रेस्तरां के उपयोग की पूर्व निश्चित योजना और पर्यटन विभाग की सहभागिता न होने के कारण, इसके निर्माण पर ₹ 1.74 करोड़[6] का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि निवेश से इच्छित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका (सितंबर 2024)।

मामला उत्तर/टिप्पणियों के लिए सरकार के पास भेजा गया था (फरवरी 2023); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: विभाग को भविष्य में ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकार को रेस्तरां को पट्टे पर देने के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटन केंद्र यथाशीघ्र क्रियाशील हो।

6 ₹ 1.74 करोड़ = ₹ 1.54 करोड़ (परियोजना पर व्यय) + ₹ 0.20 करोड़ (रेस्तरां की निगरानी पर व्यय)।

6.3 निधियों को विलंब से जमा करने के कारण परिहार्य व्यय

भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने में विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण वृद्धित मुआवजे के भुगतान में 1,593 दिनों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण ₹ 2.07 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा।

पंजाब वित्तीय नियम, वाल्यूम-I का नियम 2.10(ए), जो हरियाणा में भी लागू है, प्रावधान करता है कि राज्य के राजस्व से व्यय करने या स्वीकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। नियम 2.10(ए) (1) में आगे प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से सार्वजनिक धन से किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जितनी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बरतता है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण के लिए भू-स्वामियों को देय कुल मुआवजे में भूमि का बाजार मूल्य, धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि से धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज राशि और बाजार मूल्य पर 30 प्रतिशत सांत्वना राशि शामिल होती है।

बीबीपुर झील में ड्रेन खोदने के उद्देश्य से एस.वाई.एल. एस्केप, नरवाना ब्रांच नहर से सरस्वती ड्रेन हेड तक, आरडी 0 से 52,700 तक 13.22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, कुरूक्षेत्र (डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी.) ने भू-स्वामियों को भूमि मुआवजा के भुगतान के लिए ₹ 3.57 करोड़[7] के अवार्ड की घोषणा की (21 सितंबर 2011)।

अवार्ड से अप्रसन्न, भू-स्वामियों ने मुआवजे में वृद्धि के लिए अपर जिला न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र (ए.डी.जे.) की अदालत में एक कोर्ट केस दायर किया (मई 2014)। ए.डी.जे. द्वारा मुआवजे की राशि बढ़ा कर ₹ 27.60 लाख प्रति एकड़ करने और साथ में अन्य वैधानिक लाभ देने का फैसला दिया (29 अप्रैल 2016)। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 28 के अनुसार भूमि मालिक कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे की राशि पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और उसके बाद भुगतान किए जाने या न्यायालय में जमा किए जाने तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भी हकदार हैं।

जून 2016 में, विधि परामर्शी (एल.आर.) ने राय दी कि मामला अपील के लिए उपयुक्त था। अंत: वृद्धित मुआवजे के विरूद्ध समय सीमा के भीतर (जो 29 जुलाई 2016 को समाप्त हो रही थी) रेगुलर फर्स्ट अपील (आर.एफ.ए.) दायर करने के लिए महाधिवक्ता, हरियाणा के पास प्रस्ताव भेजा (10 जून 2016)। महाधिवक्ता, हरियाणा ने कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), जल सेवाएँ मंडल, कुरुक्षेत्र से समय सीमा के भीतर आर.एफ.ए. दायर करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया (14 जून 2016)। चूंकि विभाग ने उपर्युक्त राय/सलाह के अनुसार कोई

---

7 ₹ 356.90 लाख = भूमि की लागत: ₹ 264.37 लाख (₹ 20 लाख प्रति एकड़ की दर से) + सांत्वना राशि: ₹ 79.31 लाख (₹ 264.37 लाख का 30 प्रतिशत) + अतिरिक्त राशि: ₹ 12.21 लाख (20 सितंबर 2011 तक ₹ 264.37 लाख पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना करके)।

कार्रवाई नहीं की, इसलिए महाधिवक्ता, हरियाणा ने फिर से कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरूक्षेत्र से एक अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया (नवंबर 2016 एवं अप्रैल 2018) ताकि अपील दायर करने में देरी की माफ़ी और न्यायालय आदेश के क्रियान्वयन के लिए स्थगन आदेश लिया जा सके।

विभाग द्वारा 760 दिनों[8] की देरी के बाद, देरी की माफी के साथ आदेश के क्रियान्वयन को स्थगन करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आर.एफ.ए. दायर की गई (अगस्त 2018)। माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आवेदन को खारिज कर दिया (14 सितंबर 2018) और विभाग को भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया।

इसके बाद, 15 जुलाई 2019 तक विभाग द्वारा वृद्धित मुआवजे के भुगतान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरूक्षेत्र ने 302 दिनों[9] की देरी के बाद अधीक्षण अभियंता (एस.ई.), एस.वाई.एल. सर्कल, अंबाला को वृद्धित मुआवजे के भुगतान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अधीक्षण अभियंता ने प्रमुख अभियंता (ई.आई.सी.), सिंचाई और जल संसाधन विभाग, पंचकुला के पास भेज दिया। परन्तु प्रमुख अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर करने के लिए विधि परामर्शी से राय लेने का निर्देश देते हुए (30 जुलाई 2019) मामला वापस कर दिया। फिर, 29 जून 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जब कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरुक्षेत्र ने 333 दिनों[10] की देरी के बाद विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए विधि परामर्शी से राय मांगी। इस बार, विधि परामर्शी ने (21 अगस्त 2020) मामले को विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया। उसके बाद 198 दिनों[11] की देरी के बाद, अपर जिला न्यायाधीश, कुरूक्षेत्र की अदालत में ₹ 747.31 लाख[12] का भुगतान (31 मार्च 2021) कर दिया गया।

कार्यकारी अभियंता, जल सेवाएँ मंडल, कुरुक्षेत्र (अधीक्षण अभियंता, एस.वाई.एल. सर्कल, अंबाला के कार्यालय के नियंत्रण में) के कार्यालय के सितंबर 2019 से जुलाई 2022 की अवधि के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया (नवंबर 2022) कि अप्रैल 2016 में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा मुआवजा प्रदान करने का फैसला देने के बाद, वृद्धित मुआवजा नहीं दिया गया और विधि परामर्शी/महाधिवक्ता हरियाणा द्वारा नियमित रूप से दी गई राय/सलाह के बावजूद वृद्धित मुआवजे के विरूद्ध आर.एफ.ए. दायर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। आर.एफ.ए. दायर करने, उच्च प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विधि परामर्शी से राय लेने और भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने में 1,593 (760 + 302 + 333 + 198) दिनों की अत्यधिक देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे

---

[8] 760 दिनों की देरी की गणना 1 जुलाई 2016 से 31 जुलाई 2018 तक की गई है।

[9] 302 दिनों की देरी की गणना 15 सितंबर 2018 से 15 जुलाई 2019 तक की गई है।

[10] 333 दिनों की देरी की गणना 30 जुलाई 2019 से 29 जून 2020 तक की गई है।

[11] 198 दिनों की देरी की गणना 22 अगस्त 2020 से 8 मार्च 2021 तक की गई है।

[12] वृद्धित मुआवजा: ₹ 316.78 लाख + ब्याज राशि: ₹ 430.53 लाख।

पर ₹ 2.07 करोड़[13] के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी और समान नाम[14] वाले दो मामले लंबित थे। विचाराधीन मामले को विधि परामर्शी द्वारा अपील के लिए उपयुक्त पाया गया और दूसरे मामले को विधि परामर्शी द्वारा अपील के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। विधि परामर्शी की अपील न करने की राय को विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों ने गलती से इस मामले के लिए मान लिया। इसके अलावा, कोई देरी नहीं हुई, बल्कि यह एक मृत लाभार्थी के कानूनी उत्तराधिकारी का निर्धारण करने, विधि परामर्शी से राय लेने और ब्याज की गणना करने जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक लगने वाला समय था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन तत्परता से नहीं किया। आर.एफ.ए. दायर करने, उच्च प्राधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विधि परामर्शी से आगे की राय लेने और भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान करने के प्रति विभाग के इस उदासीन दृष्टिकोण के कारण वृद्धित मुआवजे के अंतिम भुगतान में 1,593 दिनों की अत्यधिक देरी हुई, जिसके कारण ₹ 2.07 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

मामला आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (फरवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार भू-स्वामियों को मुआवजा देने में अत्यधिक देरी के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

शहरी संपदा विभाग

6.4 भू-स्वामियों को उनकी अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजे का अधिक भुगतान

अवार्ड में प्रकाशित भूमि के त्रुटिपूर्ण माप के कारण भू-स्वामियों को ₹ 3.42 करोड़ मुआवजे का अधिक भुगतान हुआ। विभाग ₹ 3.25 करोड़ ब्याज सहित अधिक भुगतान की गई राशि वसूलने में विफल रहा था।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 9(1) में प्रावधान है कि कलेक्टर[15], अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस लगवाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि सरकार भूमि का स्वामित्व लेना चाहती है, और ऐसी भूमि के सभी हितों के लिए मुआवजे का दावा उससे किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 13ए लिपिकीय त्रुटियों के सुधार का प्रावधान करती है। कलेक्टर, किसी भी समय, लेकिन अवार्ड की तिथि से छः माह के भीतर, या जहां उसे धारा 18 के अंतर्गत मामला न्यायालय को संदर्भित करना है, ऐसे संदर्भ से पहले, आदेश द्वारा, अवार्ड में किसी भी

---

13 ₹ 207.38 लाख = ₹ 316.78 लाख (29 अप्रैल 2016 के फैसले के अनुसार भू-मालिकों को देय राशि) * 15 प्रतिशत * 1593/365 दिन।

14 केस नंबर एल.ए.सी. 24 वर्ष 2014 - शीर्षक महिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (वर्तमान मामला) और केस नंबर एल.ए.सी. 69 वर्ष 2015 - शीर्षक महिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (अन्य मामला)।

15 "कलेक्टर" का अर्थ किसी जिले का कलेक्टर है और इसमें उपायुक्त और अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के कार्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कोई भी अधिकारी हो सकता है।

लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों या उसमें उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को सही कर सकता है। कलेक्टर अवार्ड में किए गए किसी भी सुधार की तत्काल सूचना सभी हितधारक व्यक्तियों को देगा। यदि उपधारा (1) के अंतर्गत किए गए सुधार के परिणामस्वरूप यह पाया जाये कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, तो भुगतान की गई अतिरिक्त राशि वापस करना आवश्यक है और किसी भी डिफॉल्ट या भुगतान से इनकार के मामले में, इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम के कार्यालय में अभिलेखों की जांच (फरवरी 2023) के दौरान यह पाया गया कि सेक्टर 75 से सेक्टर 80, गुरूग्राम की सड़कों के विकास के लिए शिकोहपुर, तहसील मानेसर, गुरुग्राम की राजस्व संपत्ति में 108.09 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत अधिसूचनाएं क्रमशः 7 अगस्त 2013 और 31 जुलाई 2014 को जारी की गई थी। धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड की घोषणा 29 जुलाई 2016 को 106.54 एकड़ के लिए ₹ 4.65 करोड़ प्रति एकड़ की दर से की गई थी।

इस अधिग्रहण में, खेवट नंबर 197/263-264 में दो बीघा 19 बिस्वा और 12 बिस्वांसी (1.8625 एकड़) भूमि का अधिग्रहण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया था:

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा		
		बीघा	बिस्वा	बिसवांसी
1.	1744 min	0	3	2
2.	1745 min	0	13	10
3.	**1746 min**	**1**	**2**	**0**
4.	1764 min	1	1	0
	कुल	**2**	**19**	**12**

हालांकि, राजस्व विभाग के अभिलेख (जमाबंदी) के अनुसार और दो भू-स्वामियों के शपथ-पत्र में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, खसरा नंबर 1746 min में केवल 10 बिस्वा भूमि मौजूद थी। लेकिन, अवार्ड दस्तावेज में इसे 1 बीघा, 2 बिस्वा, (कुल 22 बिस्वा) के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके कारण, 29 सितंबर 2016 को भू-स्वामियों को 12 बिस्वा अर्थात 0.375 एकड़ (22 बिस्वा-10 बिस्वा) के लिए ₹ 3.42 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हो गया था। फाइल में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, अधिनियम की धारा 13ए के अंतर्गत नोटिस 22 जनवरी 2020 को दिया गया था। इसके बाद इन भू-स्वामियों को उपर्युक्त अतिरिक्त राशि 15 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने के लिए 12 सितंबर 2022 को केवल एक अनुस्मारक नोटिस जारी किया गया था। उपर्युक्त नोटिस जारी करने के बाद भू-स्वामियों को भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि भू-स्वामियों द्वारा यह शपथ पत्र दिया गया था कि यदि उपरोक्त भूमि के लिए कानूनन कोई प्रतिकूल दावा साबित होता है तो एक सप्ताह के भीतर ब्याज सहित मुआवजा वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार, भू-स्वामियों को ₹ 3.42 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दे दिया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग मुआवजे की अधिक भुगतान की गई राशि पर 30 सितंबर 2016 से 31 जनवरी 2023 (लेखापरीक्षा की तिथि तक) ₹ 3.25 करोड़ का ब्याज वसूलने का अधिकारी था, जो इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

भू-स्वामी का नाम	हिस्सा	भुगतान की गई राशि	वसूली जाने वाली राशि	15 प्रतिशत की दर पर ब्याज
श्री रामनिवास	1/3	6.80	1.37	1.30
मेसर्स फ्रीसन प्रॉपबिल्ड	1/6	3.40	0.68	0.65
मेसर्स गिरधर प्रॉपबिल्ड	1/3	6.80	1.37	1.30
श्री महिपाल, श्री सतपाल, सुश्री मामी	1/6	2.72	ये मार्च 2020 में सही भुगतान किए गए थे।	
कुल		**19.72**	**3.42**	**3.25**

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम यह दस्तावेज कि अनियमितता कब संज्ञान में आई, भू-स्वामियों को पहला नोटिस कब जारी किया गया या भू-स्वामियों से वसूली की स्थिति क्या है और अधिनियम की धारा 13ए के अंतर्गत भू-राजस्व के रूप में उक्त राशि की वसूली के संबंध में उपायुक्त के साथ क्या पत्राचार किया गया, उपलब्ध कराने में विफल रहे।

इस प्रकार, विभाग भू-स्वामियों से ₹ 3.42 करोड़ की अतिरिक्त मुआवजा राशि और ₹ 3.25 करोड़ का ब्याज वसूलने में विफल रहा है।

मामला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम (फरवरी 2023), अपर मुख्य सचिव, शहरी संपदा विभाग, हरियाणा सरकार (मार्च 2023) और महानिदेशक, शहरी संपदा विभाग (सितंबर 2024) के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था। न तो भूमि अधिग्रहण अधिकारी और न ही विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर दिया (जनवरी 2025)।

सिफारिश: विभाग अधिक भुगतान की गई राशि ब्याज सहित शीघ्रता से वसूल करे तथा भू-स्वामियों से वसूली के लिए उचित कार्रवाई न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे।

6.5 वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान

गुरुग्राम और फरीदाबाद में न्यायालय के निर्णय पर वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के कारण ₹ 83.04 करोड़ की दंडात्मक ब्याज राशि का परिहार्य उद्ग्रहण हुआ।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 में प्रावधान है कि कब्जा लेने की तिथि से एक वर्ष के लिए नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा और एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

इसके अतिरिक्त, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भी सभी भूमि अधिग्रहण अधिकारियों (एल.ए.ओ.) को निर्देश जारी किए थे (3 दिसंबर 2010) कि भू-स्वामियों को विलंबित भुगतान पर ब्याज देयता से बचने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद वृद्धित मुआवजे का दावा अदालत के निर्णय की तिथि से तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 गांवों से संबंधित विशेष अनुमति याचिका संख्या 8024-8074/2017 में अपने निर्णय दिनांक 5 सितंबर 2017 में निर्णय की तिथि से चार माह के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी, शहरी संपदा, गुरुग्राम के कार्यालय के जनवरी 2018 से नवंबर 2022 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान (फरवरी 2023), यह पाया गया कि 32 मामलों में, भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे का भुगतान निर्धारित समय अवधि में अर्थात दिसंबर 2010 के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार तीन माह के भीतर नहीं किया गया था। नौ मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भुगतान करने के लिए चार महीने का समय दिया है। 32 भू-स्वामियों को वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 55.17 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ ***(परिशिष्ट 6.2)***।

इसी प्रकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दिसंबर 2010 के निर्देशों के अनुसार अदालत के निर्णय की तिथि के तीन माह के भीतर वृद्धित मुआवजे का भुगतान न करने के 135 मामले भूमि अधिग्रहण अधिकारी, फरीदाबाद के अभिलेखों की नमूना-जांच (फरवरी 2023) के दौरान पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप इन 135 मामलों में ₹ 27.87 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट 6.3)***।

32 माह और 82 माह के बीच अत्यधिक देरी वाले कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भूमि अधिग्रहण मामला संख्या	न्यायालय के निर्णय की तिथि	ब्याज का भुगतान तिथि तक	निर्धारित 90/120 दिन की अवधि घटाने के बाद निर्णय की तिथि से विलंब	मूलधन	विलंबित भुगतान पर 15 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज
गुरूग्राम						
1.	1448/10	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	48 माह	10.59	6.37
2.	1450/10	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	48 माह	15.18	9.13
3.	540/10	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	52 माह	5.11	3.31
4.	338/11	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	32 माह	7.83	3.13
5.	341/11	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	32 माह	6.39	2.56
फरीदाबाद						
6.	62/14	18 मार्च 2015	30 नवंबर 2021	77 माह	0.78	0.75
7.	62/14	18 मार्च 2015	09 जून 2021	72 माह	0.26	0.23
8.	98/15	06 अप्रैल 2015	30 अप्रैल 2022	82 माह	0.91	0.93
9.	300/10	08 नवंबर 2017	30 अप्रैल 2022	52 माह	2.23	1.42
10.	187/10	13 फरवरी 2017	30 अप्रैल 2022	60 माह	0.06	0.04

भुगतान में देरी के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में देरी पाई गई:

- भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा वृद्धित मुआवजे की राशि की गणना करना।
- भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा बैंक पोर्टल पर भू-स्वामियों के विवरण के साथ गणना अपलोड करना।
- मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए जोनल प्रशासक-सह-अपर निदेशक, शहरी संपदा द्वारा मामलों को प्रस्तुत करना।
- मुख्य वित्त नियंत्रक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक को भुगतान हेतु निधियां जारी करना।

तीन मामलों[16] के संबंध में, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गुरुग्राम ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भुगतान दो बार पोर्टल पर अपलोड किया गया था, लेकिन मुख्य वित्त नियंत्रक (सी.सी.एफ.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इसे दो बार (दिसंबर 2019 और मार्च 2022 में) अस्वीकार कर दिया था। अंततः भुगतान जून 2022 और अक्तूबर 2022 में किया जा सका।

भूमि अधिग्रहण अधिकारी का उत्तर केवल आंशिक रूप से स्वीकार्य है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से भी देरी हुई थी; भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इन तीन मामलों में निर्णय की तिथि से 15 से 27 माह की देरी के बाद बैंक के पोर्टल पर भुगतान के लिए गणना अपलोड की थी।

अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस (जून 2023) के दौरान, यह सूचित किया गया था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास निधियों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान में देरी हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बैंकों से कैश क्रेडिट लिमिट की सुविधा ले रहा था और 31 मार्च 2023 तक, 7.30 से 7.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्राप्त ₹ 7,011.31 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट अप्रयुक्त पड़ी थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कम ब्याज दरों पर कैश क्रेडिट लिमिट का उपयोग कर उच्च ब्याज दरों वाले मुआवजे का भुगतान करके ब्याज देयता को कम कर सकता था।

इस प्रकार, बैंकों के पोर्टल पर भुगतान विवरण अपलोड करने में भूमि अधिग्रहण अधिकारियों की ओर से देरी, मुख्य प्रशासक की स्वीकृति के लिए जोनल प्रशासक-सह-निदेशक शहरी संपदा द्वारा मामलों को प्रस्तुत करने में देरी और मुख्य वित्त नियंत्रक द्वारा भुगतान जारी करने में देरी के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नमूना-जांच किए गए मामलों में ₹ 83.04 करोड़ की राशि के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

सिफारिश: राज्य सरकार अनियमितता की व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए दंडात्मक ब्याज भुगतान के सभी मामलों की जांच करने और वृद्धित मुआवजे के भुगतान में देरी से बचने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करने पर विचार करे।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

6.6 सीवरेज प्रभारों की अवसूली और पानी की खपत के लिए गलत टैरिफ दरें लागू करना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान सीवरेज बिल जारी न करने (₹ 15.08 करोड़) और पानी की गलत टैरिफ दरें लागू करने (₹ 17.59 करोड़) के कारण ₹ 32.67 करोड़ वसूल करने में विफल रहा।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला ने अधिसूचना (जनवरी 2018) के माध्यम से 1 जनवरी 2018 से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत

[16] करतार कौर एल.ए.सी. नंबर 1448/2010, करतार कौर एल.ए.सी. नंबर 1450/2010 और इंदिरा एल.ए.सी. नंबर 540/2020

क्षेत्रों में पानी और सीवरेज टैरिफ को संशोधित किया था।

मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी (सी.आई.टी.ओ.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला के कार्यालय की लेखापरीक्षा (अक्तूबर 2022) के दौरान, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के लिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों[17] के पानी और सीवरेज बिलिंग प्रणाली के डेटा का विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा में डेटा की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:

(i) सीवरेज बिल जारी न करना

अधिसूचना (जनवरी 2018) के अनुसार, सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पानी के बिलों के साथ सीवरेज के बिल (जल प्रभार पर 20 प्रतिशत की दर से) जारी किए जाने थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45,138 उपभोक्ताओं के मामले में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान पानी के बिलों में सीवरेज बिल जारी नहीं किए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उस अवधि के दौरान इन 45,138 उपभोक्ताओं को ₹ 75.43 करोड़ के पानी के बिल जारी किए, लेकिन ₹ 15.08 करोड़[18] के सीवरेज बिल जारी नहीं किए परिणामस्वरूप उस सीमा तक सीवरेज प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता-सह-नोडल अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मंडल नंबर II, पंचकुला ने बताया (अप्रैल 2023) कि कुछ उपभोक्ताओं ने पानी के कनेक्शन ले लिए थे और सक्षम प्राधिकारी से कब्जा प्रमाण-पत्र लेने के बाद घरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सीवरेज कनेक्शन नहीं लिया था। इसलिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से सीवरेज बिल जारी नहीं किए गए थे। मुख्य प्रशासक (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ने उत्तर दिया (जून 2023) कि दोषी उपभोक्ताओं के सीवर कनेक्शन काटने और ₹ 20,000 प्रति कनेक्शन[19] जुर्माना और जनवरी 2018 से अब तक बकाया बिल वसूलने के बाद उन्हें नियमित करने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे (मई 2023)। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 27,584 दोषी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे। यह सूचित किया गया था कि सीवरेज प्रभार जमा न करने वाले दोषी उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 34,214 हो गई थी, जिनमें से 6,630 नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अद्यतन स्थिति के बारे में आगे पूछताछ करने पर, मुख्य अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (सितंबर 2024) कि दोषी उपभोक्ताओं की संख्या घटकर 23,149 हो गई है और इन दोषी उपभोक्ताओं से वसूली की गणना कनेक्शन के नियमितीकरण के समय की जाएगी। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार, अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के लिए ₹ 15.08 करोड़ (₹ 75.43 करोड़ के पानी के जारी किए हुए बिल का 20 प्रतिशत) का सीवरेज प्रभार वसूल किया जाना था। इसके अलावा, चूंकि नवनिर्मित मकान में रहने के लिए

---

17 (i) आवासीय- प्लॉटेड; (ii) आवासीय ग्रुप हाउसिंग सोसायटी; (iii) संस्थागत; (iv) औद्योगिक; (v) वाणिज्यिक, आदि।

18 ₹ 15.08 करोड़ = ₹ 75.43 करोड़ x 20 प्रतिशत।

19 अनधिकृत सीवरेज कनेक्शन के उल्लंघन के शमन के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर (जून 2009)।

सीवरेज कनेक्शन आवश्यक है, इसलिए इसके बिना सक्षम प्राधिकारी से आधिपत्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संभव नहीं है।

(ii) बिलों पर त्रुटिपूर्ण जल दरें लागू करना

अप्रैल 2018 से लागू संशोधित जल दरों के अनुसार, आवासीय मीटर कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं के लिए पानी के बिल ***तालिका 6.6.1*** में वर्णित दरों के अनुसार जारी किए जाने थे।

तालिका 6.6.1: 1 जनवरी 2018 से लागू संशोधित जल टैरिफ

पानी की खपत	जल प्रभार प्रति किलोलीटर (₹ में)	मासिक उपभोग के लिए लागू दरें
20 किलोलीटर (किलोलीटर) तक	2.50	पहले 10 किलोलीटर
	5.00	10 किलोलीटर से अधिक और 20 किलोलीटर से कम
20 किलोलीटर से अधिक और 30 किलोलीटर तक	8.00	कुल जल खपत के लिए समान दर
30 किलोलीटर से अधिक	10.00	

जल प्रभारों के लिए जारी बिलों से संबंधित डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि 1,59,761 घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में बिल, जहां पानी की खपत 20 किलोलीटर से अधिक थी, कुल पानी की खपत पर ₹ 8/₹ 10 प्रति किलोलीटर की दर से समान दरें लागू करने के बजाय स्लैब दरों (पहले 10 किलोलीटर के लिए ₹ 2.50 और अगले 10 किलोलीटर अर्थात 10 किलोलीटर से ऊपर और 20 किलोलीटर तक के लिए ₹ पांच प्रति किलोलीटर की दर से) को लागू करके तैयार किए गए थे। पानी के बिल बनाने में गलत दरें लागू करने के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 17.59 करोड़[20] की वसूली नहीं की जा सकी।

मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया (जून 2023) कि अधिसूचना में दर्शाई गई स्लैब दरों के अनुसार बिल जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर में कोई अंतर्निहित प्रावधान नहीं होने के कारण बिल गलत तरीके से जारी किए गए। आगे, स्लैब दरों के गलत अनुप्रयोग के कारण बकाया राशि के बिल 10 जून 2023 से शुरू होने वाले बिलिंग चक्र में जारी किए जाएंगे और आशा जताई कि वसूली में देरी नहीं होगी।

इसके बाद, मुख्य अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बताया (सितंबर 2024) कि अप्रैल 2023 से उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार स्लैब दरों के अनुसार बिल जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है।

इस प्रकार, एक माह में 20 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए स्लैब दरें गलत तरीके से लागू की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.59 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना और शहरी संपदा विभाग, हरियाणा सरकार के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (4 मई 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

---

[20] 20 किलोलीटर से अधिक लेकिन 30 किलोलीटर से कम और 30 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत के लिए क्रमशः ₹ 8 और ₹ 10 की दर से अंतरीय राशि की गणना करके ₹ 17.59 करोड़ का आंकड़ा निकाला गया। राशि की गणना करते समय 2018 की नीति में प्रदान की गई वार्षिक वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार विसंगतियों को रोकने और बकाया राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत, स्वचालित बिलिंग प्रणाली स्थापित करने पर विचार करे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

6.7 किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के कारण परिहार्य हानि

किए गए अतिरिक्त कार्य के दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप एजेंसी के पक्ष में मध्यस्थता का निर्णय सुनाया गया, जिसके कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी हुई और परिणामस्वरूप, राज्य के खजाने को ₹ 86.49 लाख की परिहार्य हानि हुई।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 6.5.1 और 6.5.6 में प्रावधान है कि मंडल में पदासीन मंडलीय अधिकारी अपने मंडल के अंतर्गत सभी कार्यों के निष्पादन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

संहिता के पैरा 16.19 में प्रावधान है कि प्रभारी अभियंता, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन का आदेश दे सकता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ प्रभारी अभियंता को किसी भी कार्य की मात्रा को बढ़ाने या घटाने और कार्य के किसी भी हिस्से के स्तर, लाइन, स्थिति और आयामों को बदलने में सक्षम बनाता है। हालांकि, योजनाओं और विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक और पर्याप्त विवरण के साथ तैयार करके परिवर्तन के मामलों और इनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए और ड्राईंग में दर्शाए गए बुनियादी स्तर, साइट पर मौजूद वास्तविक स्तर से मेल खाने चाहिए।

"जिला पलवल के हथीन कस्बे में सीवरेज योजना प्रदान करना - हथीन कस्बा, जिला पलवल में मुख्य पंपिंग स्टेशन, 4.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) और मलजल वाहक इत्यादि के डिजाइन, निर्माण, इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग" नामक कार्य मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी, गुरुग्राम को 12 माह अर्थात दिसंबर 2012 तक की पूर्णता समय-सीमा के साथ ₹ 4.38 करोड़ की अनुबंध राशि के लिए आबंटित किया गया था (दिसंबर 2011)। एजेंसी ने दिसंबर 2011 में कार्य प्रारंभ किया और दिसंबर 2014 में इसे पूरा किया।

अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मेवात परियोजना सर्कल, पलवल (एस.ई.) के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान (दिसंबर 2021), यह पाया गया कि अनुमोदित डिजाइन के अनुसार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टैंक की गहराई 6.00 मीटर थी। हालांकि, सीवर लाइन का स्तर 7.40 मीटर होने के कारण, टैंक का निर्माण 7.40 मीटर अर्थात अनुमोदित डिजाइन स्तर से 1.40 मीटर (7.40 मीटर-6.00 मीटर) गहराई तक किया गया था। तदनुसार, एजेंसी द्वारा ₹ 58 लाख (किया गया अतिरिक्त कार्य: ₹ 12 लाख, पंप चलाने/ईंधन की लागत/रखरखाव आदि पर किया गया व्यय: ₹ 33 लाख और कार्य की अवधि बढ़ने के कारण सामग्री की कीमत में वृद्धि के लिए ₹ 13 लाख) के अतिरिक्त व्यय का दावा प्रस्तुत किया गया (अप्रैल 2014)। दो वर्ष (अप्रैल 2014 से मई 2016) बीत जाने के बाद विभाग द्वारा दावे

को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया (मई 2016) कि अनुबंध में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। दावे को अस्वीकार किए जाने से अप्रसन्न एजेंसी मध्यस्थता में चली गई (जून 2016) और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मध्यस्थ द्वारा ₹ 62.52 लाख[21] का अवार्ड प्रदान किया गया (जुलाई 2018)। तदनुसार, एजेंसी को अवार्ड और उस पर ब्याज सहित ₹ 112.01 लाख (कार्य को लंबा खींचने के लिए मुआवजा, मध्यस्थता व्यय और ब्याज ₹ 86.49 लाख + अतिरिक्त कार्य पर ₹ 25.52 लाख का व्यय) का भुगतान किया गया (अप्रैल 2022)।

यह इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), अधीक्षण अभियंता ने सहमति व्यक्त की (सितंबर 2022) कि अनुमोदित डिजाइन में उल्लिखित और वास्तविक साइट के अनुसार टैंक की गहराई में अंतर था। अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, किसी भी मुआवजे, जैसा कि एजेंसी ने दावा किया था, का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना/अनुबंध की क्लॉज 6 में प्रावधान है कि भुगतान ठेकेदार द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, प्रमुख अभियंता ने बताया (जून 2023) कि कार्य की प्रगति के दौरान, यह पाया गया था कि साइट की स्थिति के अनुसार मुख्य पंपिंग स्टेशन टैंक की खुदाई में कुछ अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता थी। प्रमुख अभियंता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ अतिरिक्त कार्य निष्पादित कराए गए थे और अनुबंध की क्लॉज 6 के अनुसार, ठेकेदार को उसके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के लिए भुगतान किया जाना था।

इस प्रकार, किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए विभाग द्वारा दावे को अनियमित रूप से अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप एजेंसी के पक्ष में मध्यस्थता का निर्णय सुनाया गया और एजेंसी को ब्याज, मुकदमेबाजी की लागत और मुआवजे के कारण सरकारी खजाने को ₹ 86.49 लाख[22] की हानि हुई।

मामला अपर मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा सरकार के पास उनके उत्तर/टिप्पणियों के लिए भेजा गया (फरवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

सिफारिश: राज्य सरकार को मध्यस्थता व्यय में हानि से बचने के लिए लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का अनुपालन और कार्य में बदलाव की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय पर स्वीकृति सुनिश्चित करनी चाहिए।

---

21 किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए ₹ 25.52 लाख, कार्य के विस्तार के लिए ₹ 25 लाख तथा मध्यस्थता व्यय के लिए ₹ 12 लाख।

22 ₹ 112.01 लाख (भुगतान किया गया) - ₹ 25.52 लाख (किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए स्वीकार्य)।